

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस कमिश्नर, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर।
3. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 17 अप्रैल, 2020

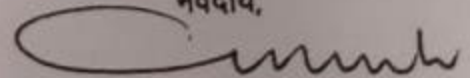
विषय:- कोविड-19 महामारी के रोकथाम हेतु लागू देश व्यापी लॉक डाउन के दौरान प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित कॉमन सर्विस सेन्टर (सी0एस0सी0) का संचालन प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-264/2020 सीएक्स-3 दिनांक 16.04.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 15.04.2020 के अनुक्रम में लॉक डाउन के दौरान कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश को प्रस्तर-10 जो वाणिज्य और निजी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों को कियाशील किये जाने के सम्बन्ध में है, के बिन्दु-4 में सरकारी मान्यता प्राप्त ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित जनसेवा केन्द्रों (सी0एस0सी0) को दिनांक 20.04.2020 से कियाशील किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लॉक डाउन की अवधि के दौरान प्रदेश के विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्थापित जन सेवा केन्द्रों को दिनांक 20.04.2020 से संचालित किये जाने हेतु जनसेवा केन्द्र से सम्बन्धित कार्मिकों को उनके परिचय पत्र आदि की पहचान/चेकिंग कर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये उन्हें कार्य स्थल पर आने-जाने की छूट प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,



(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी/स्टाफ ऑफीसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, आईटी एवं इले0 विभाग उ0प्र0 शासन।
4. राज्य समन्वयक, सीईजी, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अमिताम त्रिपाठी)
विशेष सचिव।